

13. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

- I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियम के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि असाधारण महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और असाधारण महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.
- II. वोटिंग की सुविधा असाधारण महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- III. जिन शेयरधारकों ने असाधारण महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी असाधारण महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.
- IV. असाधारण महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं असाधारण महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.
- V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार दिनांक 22 जून, 2021 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर गुरुवार, दिनांक 24 जून 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए **कट ऑफ तारीख शुक्रवार, 18 जून 2021** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.
- VI. ऐसा व्यक्ति जो असाधारण महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं **कटऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 18 जून, 2021** तक शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **24 जून 2021 सायं 5.00 बजे** से पूर्व लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- VII. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:
  - ए) इंटरनेट ब्राउज़र खोले और ट्रेड्स बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें.
  - बी) आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लार्ईट आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.
  - सी) उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.
  - डी) आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@, #, \$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.
  - ई) आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.
  - एफ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.
  - जी) वोटिंग पृष्ठ पर अपने पसंदीदा अभ्यर्थी का चयन करके अपना मत दें.
  - एच) "SUBMIT" पर क्लिक करें. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' दबाएँ, अन्यथा आशोधन के लिए 'Cancel' दबाएँ. एक बार आपके पुष्टि करने पर, आपको बाद में आपके वोट में आशोधन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, संकल्प में आपके वोट की पुष्टि करने तक आप इसमें अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.
  - आई) अनेक फोलियो/ डिमेट खाता धारक वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो / डिमेट खाता के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे.
  - जे) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com) ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'Even No.....' के प्रारूप में रखें.

- VIII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.
- IX. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर ई-मेल भेजे या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
- X. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **शुक्रवार, 18 जून, 2021** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.
- XI. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.
- XII. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.
- XIII. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मेसर्स ईजेडवाई लॉज के अधिवक्ता एवं कॉर्पोरेट विधिक परामर्शदाता श्री अंकुर कुमार को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- XIV. असाधारण महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- XV. जांचकर्ता द्वारा असाधारण महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

### 13. THE PROCEDURE FOR E-VOTING

- i. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the EGM and facility for those Members participating in the EGM to cast vote through e-voting system during the EGM.
- ii. The facility for voting shall also be made available during the EGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.
- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also participate in the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system (“remote e-voting”) during the prescribed time prior to EGM and voting during EGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 22<sup>nd</sup> June 2021 (9:00 am IST) and ends on Thursday, 24<sup>th</sup> June 2021 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off Date of Friday, 18<sup>th</sup> June 2021** may cast their vote by remote e-voting for agenda. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of EGM and holding shares as on **cut-off date i.e. Friday, 18<sup>th</sup> June 2021**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com), along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 24<sup>th</sup> June 2021**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting are as under:
  - a. Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
  - b. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
  - c. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
  - d. You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
  - e. You need to login again with the new credentials.
  - f. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
  - g. On the voting page, cast your vote by selecting the candidate of your choice.
  - h. Click on ‘SUBMIT’. A confirmation box will be displayed. Click ‘OK’ to confirm, else ‘CANCEL’ to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
  - i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
  - j. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com) and [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format ‘EVEN No.....’

- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and evoting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800 309 4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFinTech or send an email to [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or call 1800 309 4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e. Friday, 18<sup>th</sup> June 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFinTech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. Mr. Ankur Kumar of M/s EZY LAWS, Advocates and Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the EGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the EGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, within two working days of the conclusion of the EGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.